

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



क्रमांक: एफ 4(220)प्रा0शि0/एमडीएम/दिशा-निर्देश/2019/
जिला कलक्टर
जिला समस्त।

जयपुर दिनांक:

आवश्यक

विषय:- पीएम पोषण (मिड डे मील) कार्यक्रम में भोजन पकाने में उपयोग में लिये जा रहे गैस सिलिण्डर के उपयोग के सम्बन्ध में निर्देश।
प्रसंग:- इस कार्यालय के पूर्व पत्र संख्या 1441 दिनांक 17 मार्च, 2020 एवं 94 दिनांक 01.05.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा, पीएम पोषण (मिड डे मील) कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयों परिसर में कुक कम हैल्पर के द्वारा पोषाहार बनाया जाता है, में गैस सिलिण्डर के उपयोग में सावधानी बरतने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। इस सम्बन्ध में पुनः निर्देशित है कि निम्नलिखित निर्देशों की पालना सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करावे:-

गैस सिलिण्डर के उपयोग के सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बातें :-

पीएम पोषण (मिड डे मील) योजना संचालित विद्यालयों एवं संस्थाओं में मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिये सभी विद्यालयों में गैस उपयोग में ली जा रही है। गैस ऐजेन्सियों द्वारा समय-समय पर गैस उपयोग के समय सावधानी बरतने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। विद्यालयों में भोजन तैयार करते समय निम्न सावधानी बरती जानी चाहिए:-

गैस पाईप :-

- यह अनुमोदित गुणवत्ता की हो (आईएसआई मार्क)।
- स्टील वायर गैस पाईप का इस्तेमाल किया जाये।
- लंबाई जहाँ तक संभव हो कम हो। अधिकतम लंबाई 1.5 मीटर होनी चाहिए।
- निरीक्षण के लिए सहजता से उपलब्ध हो।
- इसे आग से दूर रखें।
- नॉजल की पूर्ण लंबाई को ढकते हुए अंदर की ओर धकेलें।
- इस बात का ध्यान रखें कि ये बर्नर से गर्म न हो या मुड़ा हुआ न हो
- इसे केवल गीले कपड़े से साफ करें, पाईप को नॉजल पर चढ़ाने के लिए साबुन के पानी का प्रयोग न करें।



- इसकी नियमित रूप से जाँच करें कि इसमें कोई दरार, गड्ढे, नरमाहट न हुई हो, विशेषतः छोर पर।
- पाईप किसी अन्य वस्तु से न ढकें।

यदि गैस की गंध आए:—

- गैस की गंध आए तो इलेक्ट्रिकल स्विच न चलाएं, खिड़की दरवाजे खुले रखें।
- सुनिश्चित करें कि गैस चूल्हे के नॉब बंद किए गए हैं।
- एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए माचिस की तीली न जलाएं।
- प्रेशर रेग्यूलटर को बंद स्थिति में रखें।
- यदि गंध फिर भी न गई हो तो, तुरन्त अपने गैस डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाएं।
- आपात स्थिति के समय अपने करीबी आपात सेवा कक्ष को फोन करें।
- एक अनुभवी व्यक्ति रेग्यूलटर को निकाल सकता है। वाल्व पर सुरक्षा कैप लगाएं।

खाली सिलिण्डर निकालते समय :—

- रसोई और आसपास की सभी जलती हुई चीजें जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती को बंद कर दें।
- चूल्हे के सभी टैप बंद कर दें।
- रेग्यूलटर के स्विच नॉब को चालू स्थिति से बंद स्थिति में करें।
- सुरक्षा कैप को निकालने के लिए नीचे दबाएं, कोर्ड को खींचे और खींचे रखें। कैप को सिलिण्डर के वाल्व से निकाल लें।

भरा हुआ सिलिण्डर लगाना:—

- सिलिण्डर वाल्व के भीतर की सीलिंग रिंग की अपनी छोटी अंगुली को अंदर से फेरकर जाँच करें कि वह सही स्थिति में है। यदि रिंग न हो तो सिलिण्डर का प्रयोग न करें। सुरक्षा कैप को वापस लगाएं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क कर इसे बदलने का अनुरोध करें।
- यह सुनिश्चित करें कि रेग्यूलटर का स्विच नॉब बंद स्थिति में हो।
- रेग्यूलटर को कसकर दबाएं और प्लास्टिक ब्लश ऊपर खींचें।
- वाल्व को सीधे रेग्यूलटर पर रखें और तब तक इसे घुमाकर हल्के प्रेस करें जब तक वह सिलिण्डर पर लगे वाल्व के हेक्सेगन को न छूए। काला प्लास्टिक बुश छोड़ दें और इसे नीचे की ओर प्रेस करें (आपको क्लिक की हल्की सी आवाज सुनाई देगी)।
- प्रेशर रेग्यूलटर अब सिलिण्डर पर लॉक है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश:—

- खाना पकाते समय नायलॉन के वस्त्र न पहनें।
- खाना पकाने के सामान का प्रयोग करते समय वहाँ से न हटें।
- खाना पकाने वाले स्थान (रसोईघर) पर विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में नहीं जाने दें।
- गैस इंस्टॉलेशन को या उनके किसी भाग की मरम्मत, ठीक करने या निरीक्षण करने की कोशिश स्वयं न करें और ना ही किसी अनाधिकृत मैकेनिक को ऐसा करने दें। दो वर्षों में एक बार किसी प्राधिकृत मैकेनिक को इसे निरीक्षित करने की अनुमति प्रदान करें।
- यदि चूल्हा खिड़की के पास है तो खिड़की में परदे न लगाएं। हवा से उड़कर ये आग पकड़ सकते हैं।

- डिलीवरी के समय रिफिल सिलिण्डर की रीडिलीवरी जाँच हेतु अनुरोध करें।
- चूल्हे को जमीन पर न रखें।
- गैस को हवादार कमरे में रखें।
- गैस को जमीन स्तर से नीचे न रखें।
- खाना पकाने के बाद कभी भी रेग्युलेटर को चालू स्थिति में न छोड़ें।
- चूल्हा जलाने से पहले हमेशा सूँघकर एलपीजी के रिसाव का पता लगावें।
- पाईप पर दरारें हैं या दो वर्ष से अधिक पुरानी हैं तो इसका प्रयोग न करें।
- सिलिण्डर को हमेशा सीधा रखें और इसका वाल्व ऊपर की तरफ हो। यदि सिलिण्डर किसी अन्य स्थिति में रखा गया है तो ऐसे में खुले वाल्व से लिक्विड एलपीजी बाहर आ सकती है और स्थिति गंभीर हो सकती है।
- सिलिण्डर जमीन पर रखे जाएं।
- एक कमरे में दो से अधिक सिलिण्डर न रखे जाएं। दो सिलिण्डर रखने के लिए कम से कम 10 वर्गमीटर का कमरा होना चाहिए।
- सिलिण्डर को ऐसी स्थिति में न रखें जहाँ वे अधिक गर्म हो जाए, किसी बिजली के उपकरण के पास न रखें।
- सिलिण्डर और एलपीजी इंस्टॉलेशन के पास ज्वलनशील वस्तुएं न रखें।
- सिलिण्डर को धूप, बारिश, धूल या आग में खुला न छोड़ें।
- सिलिण्डर के ऊपर कोई बर्तन, कपड़ा इत्यादि न रखें।
- भरे हुए या खाली सिलिण्डर को वाल्व कैप के बिना न रखें।
- हमेशा भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित पाईप का इस्तेमाल करें।
- रिफिल प्राप्त होने पर अपने डिलीवरी मेन से सिलिण्डर की जाँच करवा लें।
- खाना पकाने के उपकरण को जमीन पर न रखें। इसे हमेशा पर्याप्त ऊँचाई पर किसी स्लैब पर रखें ताकि खड़े रहकर खाना पकाया जा सके। लकड़ी के टॉप वाली मेज का इस्तेमाल न करें।
- उपकरण को खिड़की के सामने न रखें। तेज हवा चलने पर लौ बुझ सकती है और कमरे में गैस का जमाव हो सकता है।
- रसोई जहाँ एलपीजी का उपयोग हो रहा है वह हवादार हो। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखकर एलपीजी का भी उपयोग न करें।
- इस बात को सुनिश्चित करें कि आपके उपकरण के नॉजल का व्यास आपके रेग्युलेटर के नॉजल के घेरे जितना ही हो।
- उपकरण बिजली की वायरिंग, स्विच, या प्लगपॉइंट से एक मीटर की दूरी पर हो। रसोई को साफ—सुथरा रखें ताकि चूहे, कॉक्रोच इत्यादि न रहें।
- समय—समय पर गैस उपकरणों चूल्हे आदि की गैस आपूर्तिकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि से जांच करवाई जाये।
- अग्नीशमन यंत्र की निर्माण एवं उपयोग की वैधता जांच कर लें यंत्र को भी चालू स्थिति में रखें।
- बाल्टी में बालू मिट्टी भरकर रखें।

- आपातकालीन सेवाओं (एम्बुलेंस, अग्नीशमन, चिकित्सालय, स्थानीय प्रशासनिक / पुलिस अधिकारी) एवं अन्य आवश्यक दूरभाष / मोबाईल नम्बर भी सूचना पट्ट पर अंकित हो ताकि आपात स्थिति में तुरन्त सम्पर्क किया जा सके।
- जिले की गैस वितरक एजेन्सी के माध्यम से विद्यालयों की गैस की निर्धारित समयावधि में जांच करवाई जाये तथा समय-समय पर आवश्यक प्रशिक्षण भी इनके माध्यम से आयोजित करवाया जाये।

अतः योजना के सफल एवं निर्बाध संचालन हेतु उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

(विश्व मोहन शर्मा)
आयुक्त
मिड डे मील
जयपुर

क्रमांक: एफ 4(220)प्रा0शि0 / एमडीएम / दिशा-निर्देश / 2019 /

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, भारत गैस / हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड / इण्डियन ऑयल, राजस्थान, जयपुर को भिजवाकर लेख है कि सभी गैस डीलर / एजेन्सी को विद्यालयों में गैस के उपयोग के सम्बन्ध में जिला / ब्लॉक / ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समय-समय पर विद्यालयों में गैस की सुरक्षा जांच किये जाने हेतु अपने स्तर पर आवश्यक निर्देश प्रसारित करने का श्रम करें।
3. समस्त जिला रसद अधिकारी।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा समस्त संभाग।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा समस्त।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय— प्रारम्भिक।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।
8. प्रभारी आईटी सैल को को सम्बन्धित को ई-मेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(मयंक शुक्ला)
अतिरिक्त आयुक्त